


22/4/22 पत्रावली पेश हुई। पक्षकार 340।
दौरान ए वाद खसरा 66 मिन विवक्त हो
जाने से वादी व प्रतिवादीगण द्वारा कमान
जमावदी अनुसार पार्शना - फर वाक्त
शजीनामा / सधमरी अनुसार वाद डिही
किया जाने वाक्त निवेदन किया कि दोनों
खसरा 66/4 में से रकबा 04-06 व
66/9 में से रकबा 04-06 कुल रकबा
08-12 बीघा भूमि का वादी को खानदार
कारतकार घोषित करने के निर्णय डिही
पारीत किया जावे। पक्षकारों द्वारा सधमरी
फर भी पेश किया गया जिसे 21 मिल
पत्रावली किया गया। उभय पक्षकारों कि
वहस सुनी गई। सम्पूर्ण पत्रावली का
अक्लौकन किया गया। वादी का वाद
स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से
लिखवाया जाकर 21 मिल पत्रावली किया
गया। पत्रावली केवल शुमार होकर नम्बर
एक से कम है।



सहायक क्लर्क एवं
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (वसिण)